



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26309 वर्ष 2026

राहुल

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : सुनील कुमार तिवारी

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार तिवारी और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए डॉ. एस. बी. मौर्य की बात सुनी।
- यह आवेदन निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, धारा 103(1), 140(1), 238, 3(5) बीएनएस और धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन अच्छलदा, जिला औरैया में केस क्राइम नंबर 191/2025 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और झूठे आरोपों के आधार पर उसे इस मामले में सह-आरोपी सुखानी उर्फ सुकेश और रजनेश सहित 8 अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया है और दोनों सह-आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
- उन्होंने आगे कहा कि सह-आरोपी सुखानी/सुकेश और रजनेश को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.7.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25117/2026 और 25119/2026 में पारित आदेशों के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उनके समान है।
- उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का आठ अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है, लेकिन उनके आपराधिक इतिहास को इस जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है और सभी मामलों में पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है।
- उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में आवेदक 30.10.2025 से यानी पिछले 9 महीनों से अधिक समय से जेल में है।
- इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया।
- हालांकि, वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का आठ अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है और उसका नाम एफआईआर में भी है, लेकिन यह दर्शाता है कि सामान्य और व्यापक आरोपों के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आधार पर, उसे सह-आरोपी सुखानी उर्फ सुकेश और रजनेश सहित 8 अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया है और उपरोक्त दोनों सह-आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और तथ्यों के आधार पर, आवेदक का मामला उनके समान है।

10. इसके अलावा, आवेदक के आपराधिक इतिहास को इस जमानत याचिका में स्पष्ट किया गया है और उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क कि पुलिस उसके प्रति अत्यधिक शत्रुतापूर्ण है, इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

11. इसके अलावा, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय के मत के अनुसार, केवल आवेदक के आपराधिक इतिहास के आधार पर उसकी जमानत याचिका को रोकना उचित नहीं है।

12. इसके अलावा, वर्तमान मामले में आवेदक पिछले 9 महीनों से अधिक समय से जेल में है।

13. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक- **राहुल** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।